राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4038/2025

किरण सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप/2) विभाग, शासन7 सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09..2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया. अभिभाषक,

समक्ष :– पूनम दरगन , सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नासिरदा जिल टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 11.07.2024 (अनुलग्नपक–1) को विज्ञापन जारी कर विभाग में कार्यरत कार्मिकों से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अग्रंजी माध्यम) में प्रधानाचार्य के पद पर चयन करने के लिए प्रक्रिया शुरू गई उक्त प्रक्रिया में अपीलार्थी ने आवेदन किया था और वह भी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुई है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को लिखित परिक्षा आयोजित करवाई गई। जिसमे अपीलार्थी रोल नंबर 50331 पर सम्मिलित हुई है और अपीलार्थी ने लिखित परीखा में 100 में से 63 अंक प्राप्त किये है (अनुलग्नक–2 व 3)। प्रत्यर्थी विभाग ने लिखित परीक्षा में सफल कार्मिकों से

पत्र दिनांक 26.06.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा शाला दर्पण पर स्टॉफ लॉगिन के माध्यम से दिनांक 2606.2025 से 29.06.2025 तक की अवधि में जिलें का विकल्प मांगा गया था अपीलार्थी ने उक्त चयन प्रकिया की लिखित परिखा में 63 अंक प्राप्त किये थे और अपीलार्थी भी शाला दर्पण पर जिलों का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए इच्छूक अभ्यर्थी थी लेकिन अपीलार्थी की अचानक तबीयत दिनांक 26.06.2025 को खराब होने के कारण वह शाला दर्पण पर विकल्प नही भर सकी। अपीलार्थी को दिनांक 26.06.2025 से 30.06.2025 अवधि में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पडा है। अपीलार्थी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के शाला दर्पण वेब पोर्टल पर जिलों का विकल्प नही दे सकी । जिसके कारण अपीलार्थी के लिखित परीक्षा में अच्छे अंक होने के बावजुद भी उसका पदस्थापन नही हो सका । जबकि अपीलार्थी महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापन के लिए सभी योग्यताएं एंव मापदंड पूरे करती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 30.06.2025 के द्वारा उन कार्मिक का पदस्थापन कर दिया गया है। जिन्होंने शाला दर्पण पर जिलों को विकल्प प्रस्तुत किया था लेकिन अपीलार्थी का पदस्थापन नही किया गया है। जबकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर महात्मा गाँधी राजकिय विद्यालय में पदस्थापन किये जाने की गुहार लगाई लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण नही किया गया है और न ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नही गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण कर अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकिय विद्यालय में उसकी मेरिट के अनुसार करवाने के आदेश फरमाने जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)